

न्यायालय, जिला दण्डाधिकारी, सहरसा।
बी० सी० सी० ए० वाद संख्या- 59/2019
राज्य बनाम रौशन कुमार सिंह
आदेश

16.04.2019

यह कार्यवाही अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा-3 की उप धारा-3 के तहत की जा रही है। पुलिस अधीक्षक, सहरसा ने अपने पत्रांक-1559/अप०शा०, दिनांक-29.03.2019. के द्वारा प्रतिवेदित किया है कि रौशन कुमार सिंह, पिता- निरंजन सिंह, साकिन- भोटिया, थाना- बख्तियारपुर (बलवाहाट ओ० पी०), जिला- सहरसा एक सक्रिय व कुख्यात अपराधकर्मी है। इनके द्वारा कई संगीन अपराधों को अंजाम दिया गया है। इनका साठ गांठ कई सक्रिय अपराधकर्मियों के साथ है। इनके द्वारा किये गये अपराध से आमजनों में भययुक्त माहौल बना रहता है और इनके आतंक से लोग काफी भयभीत रहते हैं। वर्तमान में ये माननीय न्यायालय से जमानत पर मुक्त हैं। आगामी लोक सभा निर्वाचन- 2019 में ये विभिन्न दलों के साथ मिलकर अपनी दबंगता एवं अपराधिक गतिविधियों का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे लोक सभा निर्वाचन 2019 को स्वच्छतम सम्पन्न कराने में व्यवधान पड़ने की संभावना बतायी गयी है। उक्त अपराधकर्मी को बाहर रहने से विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है। उक्त अपराधी भा०द०वि० के अध्याय 16 एवं 17 में उल्लेखित दंडनीय अपराध में संलिप्त रहता है तथा अपराध नियंत्रण अधिनियम-1981 के धारा-2 (डी.) में वर्णित असामाजिक तत्व की परिभाषा इस पर पूर्ण रूप से लागू होता है। इनका अपराधिक इतिहास निम्नवत है।

01. बख्तियारपुर (बलवाहाट ओ०पी०) थाना काण्ड संख्या- 72/17 दिनांक- 31.03.2017 धारा- 341, 323, 379, 385, 504, 506, 34 भा०द०वि० में आरोप पत्र संख्या- 50/17 दिनांक- 15.09.2017 समर्पित।
02. बख्तियारपुर (बलवाहाट ओ०पी०) थाना काण्ड संख्या- 143/18 दिनांक- 12.04.2018 धारा- 302, 304(बी), 201, 34 भा०द०वि० में आरोप पत्र संख्या- 103/18 दिनांक- 09.07.2018 समर्पित।
03. बख्तियारपुर (बलवाहाट ओ०पी०) थाना काण्ड संख्या- 05/18 दिनांक- 03.01.2018 धारा- 307, 387, 34 भा०द०वि० एवं 27 आर्म्स एक्ट में आरोप पत्र संख्या- 139/18 दिनांक- 18.10.2018 समर्पित।

पुलिस को सूचना मिली कि रौशन कुमार सिंह असामाजिक तत्वों को एकत्र कर लोकसभा चुनाव 2019 में अपने समर्थित अभ्यर्थी के पक्ष में लोगों को मतदान करने के लिए डरा धमका रहे हैं जिससे आम मतदाता काफी भयभीत हैं। यह भी सूचना प्राप्त हुई कि इनके द्वारा आगामी चुनाव में व्यवधान उत्पन्न किये जाने की

योजना बनाया जा रहा है, जिससे शांतिपूर्ण चुनाव में व्यवधान उत्पन्न होने की पूर्ण संभावना बनी हुई है। उक्त आलोक में अधोहस्ताक्षरी न्यायालय से पत्रांक-217/न्याया0/सपत्र, दिनांक-01.04.2019 द्वारा नोटिस जारी कर प्रतिवादी को अपना कारण-पृच्छा समर्पित करने हेतु दिनांक- 05.04.2019 को 1.00 बजे अप0 निर्धारित की गई। निर्धारित तिथि 05.04.2019, 08.04.2019 व 11.04.2019 को प्रतिवादी के नोटिस तामिला अप्राप्त रहने कारण अगली तिथि 16.04.2019 निर्धारित। पुलिस अधीक्षक, सहरसा के पत्रांक- 2021/अप0शा0, दिनांक- 16.04.2019 से प्रतिवादी के नोटिस का तामिला प्रतिवेदन न्यायालय में उपलब्ध कराया गया, जो अभिलेख के साथ संलग्न है। नोटिस का तामिला प्राप्त होने के बाद भी प्रतिवादी निर्धारित तिथि- 16.04.2019 को उपस्थित नहीं हुए।

राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक को सुना। उन्होंने बताया कि इन पर वर्णित काण्ड में जो आरोप है, वह गंभीर प्रकृति के है। ऐसे चरित्र के व्यक्ति को छोड़ना न्यायहित एवं लोकहित में उचित नहीं है।

प्रतिवादी के अपराधिक घटनाओं के विश्लेषण के आधार पर मैं संतुष्ट हूँ कि बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 2(डी)(1) के अन्तर्गत ये " असामाजिक तत्व " है तथा इसकी गतिविधि एवं कार्य आम जनता के जीवन एवं सम्पत्ति की सुरक्षा के लिये खतरनाक है। ऐसे तथ्य उपलब्ध है, जिससे विश्वास होता है कि ये ऐसे कार्य में लिप्त है या लिप्त हो सकते है, जो भारतीय दंड विधान 1981 के अध्याय XVI या अध्याय XVII के अन्तर्गत दंडनीय अपराध है, जिस पर नियंत्रण करना प्रशासनिक एवं जनहित में नितांत आवश्यक है। अतएव उल्लेखित तथ्यों के आधार पर रौशन कुमार सिंह, पिता- निरंजन सिंह, साकिन- भोटिया, थाना- बख्तियारपुर (बलवाहाट ओ० पी०), जिला- सहरसा को लोक सभा आम निर्वाचन, 2019 की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरी होने अर्थात दिनांक- 25.05.2019 तक के लिए सहरसा जिला से खगड़िया जिला के लिए जिला बदर किया जाता है। उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे दिनांक- 18.04.2019 से खगड़िया जिला के परबत्ता थाना में सदेह उपस्थित होकर प्रत्येक दिन 9.00 बजे पूर्वाह्न से 11.00 बजे पूर्वाह्न एवं 5.00 बजे अपराह्न से 8.00 बजे अपराह्न के बीच अपना उपस्थिति दर्ज करायेंगे। यदि वे दिनांक- 23.04.2019 को अपना मत का प्रयोग करना चाहेंगे, तो उन्हें लिखित रूप से सूचना परबत्ता थाना में, मतदान केन्द्र पर पहुँचने हेतु यात्रा रूट, चलने का समय एवं वापसी का समय अंकित कर पूर्ण व्यौरा समर्पित करना होगा तत्पश्चात ही मतदान करने हेतु प्रस्थान करेंगे।

थानाध्यक्ष, परबत्ता थाना को निदेश दिया जाता है कि वे अपने थाना में

सहरसा जिला से तडीपार किये गए रौशन कुमार सिंह, पिता- निरंजन सिंह, साकिन- भोटिया, थाना- बख्तियारपुर (बलवाहाट ओ० पी०), जिला- सहरसा के लिए एक उपस्थिति पंजी खोलकर उसमें प्रत्येक दिन उपस्थिति दर्ज करवायेंगे तथा साप्ताहिक प्रतिवेदन पुलिस अधीक्षक, सहरसा को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

आदेश की प्रति जिला दण्डाधिकारी, खगड़िया/पुलिस अधीक्षक, खगड़िया/थानाध्यक्ष, परबत्ता/पुलिस अधीक्षक, सहरसा/थानाध्यक्ष बख्तियारपुर (बलवाहाट ओ० पी०) को भेजें।

रौशन कुमार सिंह को इस आदेश की प्रति तामिला कराने एवं अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु थानाध्यक्ष बख्तियारपुर (बलवाहाट ओ० पी०) को भेजें।

आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, सहरसा को पुलिस अधीक्षक, खगड़िया/थानाध्यक्ष, परबत्ता को अपने स्तर से तामिला हेतु तथा सहरसा जिले के सभी थानाध्यक्षों को आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने संबंधी निदेश देने के लिये अग्रसारित करेंगे।

आदेश की प्रति जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, सहरसा को भी आम जनता में प्रचार प्रसार हेतु भेजे एवं एक प्रति सहरसा जिला के वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ भेजें।

लेखापित एवं शुद्धिकृत

जिला दण्डाधिकारी,
सहरसा।

जिला दण्डाधिकारी,
सहरसा

ज्ञापांक १६४ / न्याया०, सहरसा, दिनांक- १६.०४.१९

प्रतिलिपि- जिला दण्डाधिकारी, खगड़िया/पुलिस अधीक्षक, खगड़िया/थानाध्यक्ष, परबत्ता को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, सहरसा/थानाध्यक्ष बख्तियारपुर (बलवाहाट ओ० पी०)/जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, सहरसा एवं जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- रौशन कुमार सिंह, पिता- निरंजन सिंह, साकिन- भोटिया, थाना- बख्तियारपुर (बलवाहाट ओ० पी०), जिला- सहरसा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

जिला दण्डाधिकारी,
सहरसा।

